22/12/20 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित हुआ। आदेश हेतु दिनांक 28/12/20 को पेश हो।

28/12/20 वकील वादी/प्रार्थिनी/प्रार्थी को सुनकर प्रार्थिनी ग्राम पंचायत निवासी ईश्वर व्यक्ति पुत्र स्वर्गीय पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार डिक्री की जावे और प्रार्थिनी को मुआवजा 15 EEA के रु० 75 के बिल का पूरा की मूल रकम सूचि खातेदारी 5 की मांगे का आदेश किया जावे। प्रार्थिनी को सुना गया।

अतः पार्टी का पक्ष पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री बिल्ल से लिखा जाकर बाकिल मिसल किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2022.12.12 13:30:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner